कार्यालय जिला विकलांग कल्याण अधिकारी सुलतानपुर ।

विकलांग भरण पोशण (पेंान) का विस्त1त विवरण ।

पात्रताः

1– न्यून्तम विकलांगता 40 % या उससे अधिक हो ।
2– लाभाथी की न्यूपतम आयु 18 वर्श ।
3– विकलांगता प्रमाण पत्र मुख्या चिकित्साधिकारी अथवा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा निर्गत हो ।
4– लाभार्थी निराश्रित की परिभाशा के अर्न्तगत
   (क) पुत्र, पुत्र का पुत्र
   (ख) पति
   (ग) पत्नी
   वह व्यक्ति है जिसकी आय का कोई साधन नहीं है तथा जिसका 20 वर्श या उससे अधिक आयु का उपरोक्त श्रेणी में कोई सम्बन्धी नही हैं ।
5– लाभार्थी की आय रू0 1000/– मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
6– विकलांगता का प्रकार – 1–नेत्रहीन, 2– मूक बधिर, 3– मानसिक रूप से मन्दित, 4– भारीरिक रूप से विकलांग

स्वीकृति / भुगतान की प्रकिया :–

(क) ग्रामीण क्षेत्र :– ग्राम विकास पंचायत अधिकारी ग्राम के विकलांग व्यक्तियों का सर्वे करके परिवार रजिस्टर एंव आर्थिक रजिस्टर के आधार पर ग्राम पंचायत में विचार विम र्श कर ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार करेगें जोकि विकलांग पे ान के पात्र हैं । इनमें से जिन्हें अभी तक पें ान प्राप्त नहीं हो पाई है , ऐसे विकलांग व्यक्तियों की सूची ग्राम पंचायत की खुली बैंठक में विचार विम र्श हेतु रखी जायेगी तथा सर्वाधिक असहाय एंव अ क्त वृद्व का नाम सबसे उपर रखा जायेगा । इस प्रकार क्रमानुसार पात्र व्यक्तियों की पें ान का चयन नवीन लक्ष्य के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा तथा क्षेत्र पंचायत के माध्यम से जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को अवगत कराया जायेगा । जिला विकलांग कल्याण अधिकारी उक्त सूची को अपने कार्यालय में क्रमानुसार लिपिबद्व कर पें ान का भुगतान नियमानुसार करेगें ।

(ख) अरबन क्षेत्र :– अरबन क्षेत्र में निवासरत विकलांगों द्वारा कार्यालय से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर भारीरिक बाधा प्रमाण पत्र सहित आय हेतु माननीय सांसद,/ विधायक /जिला पंचायत सदस्य /नगर अध्यक्ष, नगर पांलिका/ जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रट अथवा तहसीलदार के द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करेंगा । प्राप्त प्रार्थना पत्रों को जिला विकलांग कल्याण अधिकारी अपनी संस्तुति कर लक्ष्य के अनुसार जिलाधिकारी महोदय की सेवा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी । स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप भासन की लक्ष्य वृद्वि अनुसार नियमानुसार भुगतान की जायेगी ।

(जय प्रका ा सिंह)
जिला विकलांग कल्याण अधिकारी
सुलतानपुर ।